न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 80 / 2025 अपील (GCMS 2025/92)
पंजीयन दिनांक– 01 / 04 / 2025
निर्णय दिनांक– 30 / 01 / 2026

1. श्रीमती आशा पुत्री रामलाल जाट, निवासी बडगांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. श्रीमती लीला बेवा रामलाल जाट, निवासी बडगांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री भेरूलाल पिता ताराचन्द जाट, निवासी बडगांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. श्री दीनदयाल पिता ताराचन्द जाट, निवासी बडगांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. श्रीमती धापुबाई पत्नि ताराचन्द जाट, निवासी बडगांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर
4. सरपंच, ग्राम पंचायत बडगांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर
5. पटवारी, पटवार हल्का बडगांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर

– रेस्पोडेंट्स

उपस्थित :–

1. श्री सम्पत लाल बोहरा – वकील अपीलांट
2. श्री सम्पत सामोता – वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, मावली के प्रकरण संख्या 08 / 2024 निर्णय दिनांक 21.02.2025

निर्णय

दिनांकः 30 / 01 / 2026

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, मावली के प्रकरण संख्या 08 / 2024 निर्णय दिनांक 21.02.2025 के विरूद्ध पेश की गयी।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बडगांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर में मृत ताराचन्द के खातेदारी की भूमि स्थित है। ताराचन्द की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भेरूलाल व दीनदयाल ने अपने पक्ष में ताराचन्द द्वारा की गई वसीयत की प्रति पेश कर अपने नाम नामान्तरकरण खोलने का आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.07.2024 को नामान्तरकरण संख्या 2038 विरासत के आधार पर मृतक ताराचन्द के तीसरे पुत्र मृत रामलाल की पुत्री आशा व पत्नि लीला अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 के नाम स्वीकृत कर दिया। इस नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 क्रमशः भेरूलाल व दीनदयाल ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली में प्रथम अपील प्रस्तुत की। उपखण्ड अधिकारी, मावली ने दिनांक 21.02.2025 को आदेश पारित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 2038 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, मावली को प्रतिप्रेषित किया कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने उपरान्त विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस आदेश से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलांट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेंट संख्या 03 से 05 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विद्वान वकील अपीलांट व विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलांट ने बताया कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी हैं। पुरानी तारीख में स्टाम्प खरीदकर दिनांक 06.07.2015 को वसीयत तैयार कर नोटेरी करना बताया है। यदि वसीयत असली होती तो उसी समय नोटेरी के बजाय उसका पंजीयन करवाया जा सकता था। ताराचन्द की मृत्यु के बाद दिनांक 03.07.2024 को पंजीयन कराने का कोई न्यायोचित कारण भी नहीं बताया गया। यह भी बताया कि वसीयत के आधार पर कोई

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता। वसीयत की वैधानिकता तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिना अधिकार के होकर वोईड है। वसीयत के आधार पर अपना हक चाहने वाले को सक्षम सिविल न्यायालय से अपने हक तय करवाना चाहिये। अपने कथन की पुष्टि आर.बी.जे. (26)2019 पेज 142, आर.बी.जे. (31) 2024 पेज 92, सु.को. निर्णय जितेन्द्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य दिनांक 06.09.2021, 2023 (4) डीएनजे (एस. सी.) 1148, आर.बी.जे. (31) 2024 पेज 130, 2015 (2)आर.आर.टी. 773, 2020 आर.बी.जे. 1 एवं 301 प्रस्तुत की। अन्त में पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण को उचित बताते हुए अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, मावली का आदेश दिनांक 21.02.2025 निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 2038 बहाल रखने का निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने बहस करते हुए बताया कि खातेदार ताराचन्द की मृत्यु के बाद उनके द्वारा की गई वसीयत जो नोटेरी से प्रमाणित है वह पटवारी व सरपंच को दिनांक 24.05.2024 को जरिये वाट्सएप भेजी जाकर नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने हेतु निवेदन किया। बाद में सरपंच को भी लिखित में दिया कि वसीयत की प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत कर दी है जिससे इन्तकाल नहीं खोला जावे। चूंकि वसीयत नोटेरी से प्रमाणित थी जिससे रजिस्टर्ड होने की जानकारी होने पर उसका पंजीयन भी दिनांक 03.07.2024 करवा लिया। पटवारी एवं सरपंच को वसीयत की जानकारी होने उपरान्त भी पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था। वसीयत के आधार पर निर्णय तहसीलदार को लेना था परन्तु मिलीभगत से पंचायत ने जानबूझ कर विरासत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया। उन्हें सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह विधि अनुसार है। अन्त में अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य मूल खातेदार की मृत्यु पश्चात नामान्तरकरण के विरासत अथवा वसीयत के आधार पर खोले जाने से संबंधित हैं। उल्लेखनीय है कि खातेदार की मृत्यु पश्चात खोला गया नामान्तरकरण विरासत पर आधारित होकर उसमें सभी नैसर्गिक वारिसान को उत्तराधिकार अनुसार खातेदारी अधिकार दिए गए। अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मावली ने प्रकरण के विवादित होने के कारण क्षेत्राधिकार के आधार पर ग्राम पंचायत के स्थान पर तहसीलदार को नामान्तरकरण के विवाद का निर्णय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी मानते हुए नामान्तरकरण संख्या 2038 दिनांक 05.07.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, मावली को सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य प्रासंगिक है कि मूल खातेदार ताराचन्द जाट के प्राकृतिक वारिसान के संबंध में कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं हुआ है। रेस्पोडेंट द्वारा वसीयत के आधार पर अपने पिता की तथाकथित स्वअर्जित सम्पत्ति में अपना अधिकार बताया है। अपीलांट द्वारा वसीयत की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। प्रथम दृष्ट्या प्रस्तुत वसीयत की अभिलेख में उपलब्ध प्रति के अवलोकन से निम्न प्रेषण (**obversions**) अभिलिखित किए जाते हैः–

- *यह कि आक्षेपित दस्तावेज, वसीयत पत्र के बजाय पक्षकारान के मध्य ठहराव या अनुबन्ध प्रतीत होता है।*
- *यह कि अपीलाधीन न्यायालय में कथित वसीयतग्रहिताओं का सेवा चाकरी के एवज में पिता द्वारा सम्पत्ति प्रदत्त किए जाने का हवाला कहीं भी आक्षेपित वसीयत दस्तावेज में वर्णित नहीं है। अपितु प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा वसीयतग्रहिताओं का ग्राम/राज्य से दूर अर्द्धसैनिक बल में सेवारत होने का कथन विचारणीय है।*
- *यह कि आक्षेपित वसीयत पत्र में परिवार की सभी महिला सदस्यों (खातेदार की पत्नी सहित) का पृथ्क्करण भी आश्चर्यजनक व विचारणीय है।*

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

- *यह कि आक्षेपित नोटरीतस्दीक वसीयत पत्र को खातेदार की मृत्युपरान्त पंजीकृत करवाना भी अपने आप में विचारणीय होकर संदेह उत्पन्न करता है।*
- *ज्ञातव्य है कि, यह स्थापित सिद्धान्त है कि सम्पत्ति के मालिकाना हक बाबत किसी विवाद विशेषकर वसीयत के आधार पर अधिकार संबंधी मतभेद व वैधता का निर्धारण नामान्तरकरण जैसी संक्षिप्त प्रक्रिया (**summary proceeding**) के तहत तय नहीं किया जा सकता है।*

उक्त पृष्ठभूमि में जब रेस्पोडेंट विवादित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करवाना चाहते हैं तो उन्हें घोषणात्मक वाद के जरिए बाद साक्ष्य सुबूत के समुचित विश्लेषण पश्चात अपने अधिकार निर्धारित करवाने होंगें। इस दरम्यान नैसर्गिक उत्तराधिकार से प्राप्त उनके अधिकार संरक्षित रहेंगे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली का आदेश दिनांक 21.02.2025 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 2038 दिनांक 05.07.2024 के उत्तराधिकार से प्राप्त इन्द्राज (**entries derived through inheritance**) यथावत रखी जाती हैं। रेस्पोडेंट जरिए घोषणात्मक वाद अपने अधिकार तय करवाने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे। इस अवधि में भविष्य की विधिक जटिलताओं से बचाव के दृष्टिगत व्यापक न्यायहित में सभी पक्षकारान अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों को किसी प्रकार के हस्तान्तरण व रहन किए जाने से प्रतिबंधित रहेंगे।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर